न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 219/2019

बैंक ऑफ बडौदा
शाखा कार्यालयः– रूपनगढ,
अजमेर (राज.)–305814 ....**प्रार्थी**

बनाम

(1). मैसर्स लक्ष्मी सॉल्ट इंडस्ट्रीज
गांव एवं पोस्ट आउ–305814, पटवार मण्डल झाग
तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान
(2). श्री देव करण बेनीवाल पुत्र श्री हजारी राम बेनीवाल
गांव एवं पोस्ट आउ–305814, मण्डल झाग
तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान
दुसरा पताः– अटल चौक, रूपनगढ–305814, जिला अजमेर, राजस्थान
गांव एवं पोस्ट नेनिया–341512, तहसील परबतसर, जिला नागौर, राजस्थान
(3). श्रीमती केसर देवी पत्नी श्री हजारी राम बेनीवाल
गांव एवं पोस्ट नेनिया–341512, तहसील परबतसर, जिला नागौर, राजस्थान
(4) श्रीमती छोटी देवी पत्नी श्री रूपा राम बेनीवाल
गांव एवं पोस्ट नेनिया–341512, तहसील परबतसर, जिला नागौर, राजस्थान
(5) श्री मुला राम बेनीवाल पुत्र श्री हजारी राम बेनीवाल
गांव एवं पोस्ट नेनिया–341512, तहसील परबतसर, जिला नागौर, राजस्थान
........***अप्रार्थीगण (ऋणी)***

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्क्शन आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री सुरेश चन्द शर्मा अधिकृत प्रतिनिधि

<u>आदेश</u> <u>दिनांक 23.12.2019</u>

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण मैसर्स लक्ष्मी सॉल्ट इंडस्ट्रीज एवं श्री देव करण बेनीवाल पुत्र श्री हजारी राम बेनीवाल निवासीः– गांव एवं पोस्ट आउ–305814, पटवार जाग, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर, राजस्थान को दिनांक 3.06.2015 को रू 33.00 लाख की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण/ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर ग्राम आउ, पटवार एरिया झाग, पुरानी तहसील किशनगढ नई– रूपनगढ, जिला अजमेर, में औद्योगिक रूपान्तरित फैक्ट्री भूमि एवं निर्मित भवन (1) (अ) भूमि खसरा संख्या 322/2 रकबा 16 बिस्वा मे निहित स्वयं का सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा (ब) खसरा संख्या 370/455 रकबा 11 बीघा में निहित स्वयं का सम्पूर्ण 1/220 हिस्सा (स) खसरा संख्या 321 रकबा 08 बीस्वा, खसरा संख्या 322/1 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 12 बीघा सम्पूर्ण भूमि (द) खसरा संख्या 315 रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा सम्पूर्ण हिस्सा तथा (य) खसरा संख्या 328/431 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा सम्पूर्ण हिस्सा, जो श्री देव करण बेनीवाल पुत्र श्री हजारी राम बेनीवाल, श्री मुलाराम बेनीवाल

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

पुत्र श्री हजारी राम बेनीवाल के नाम से है। (2) ग्राम रूपनगढ तहसील रूपनगढ जिला अजमेर स्थित आघौगिक रूपान्तरित भूमि खसरा नं0 3372/1176 रकबा नं0 06 बिस्वा 15 बिस्वांसी में सम्पूर्ण हक हिस्सा, जो श्रीमती छोटी देवी पत्नि श्री रूपा राम बेनीवाल और श्रीमती केसर देवी पत्नि श्री हजारी लाल बेनीवाल के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं निम्नानुसार है – पूर्व –खसरा नं0 1178 की भूमि, पश्चिम –40 फीट चौडी रोड, उत्तर –विक्रता की शेष भूमि, दक्षिण– भूखंड को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और बकाया ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनांक 30.06.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण/ऋणी को दिनांक 21.09.2019 को रजिस्टर्ड मांग नोटिस रूपये 16,96,033.15/–(अक्षरे रूपय सोलह लाख छियानवे हजार तैंतीस एवं पन्द्रह पैसे मात्र) का जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिकृत प्रतिनिधि, प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अधिकृत प्रतिनिधि, प्रार्थी को सुना गया। अधिकृत प्रतिनिधि, प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगण ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति ग्राम आउ, पटवार एरिया झाग, पुरानी तहसील किशनगढ नई– रूपनगढ, जिला अजमेर, में औद्योगिक रूपान्तरित फैक्ट्री भूमि एवं निर्मित भवन (1) (अ) भूमि खसरा संख्या 322/2 रकबा 16 बिस्वा मे निहित स्वयं का सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा (ब) खसरा संख्या 370/455 रकबा 11 बीघा में निहित स्वयं का सम्पूर्ण 1/220 हिस्सा (स) खसरा संख्या 321 रकबा 08 बीस्वा, खसरा संख्या 322/1 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा कुल रकबा 12 बीघा सम्पूर्ण भूमि (द) खसरा संख्या 315 रकबा 11 बीघा 09 बिस्वा सम्पूर्ण हिस्सा तथा (य) खसरा संख्या 328/431 रकबा 09 बीघा 18 बिस्वा सम्पूर्ण हिस्सा, जो श्री देव करण बेनीवाल पुत्र श्री हजारी राम बेनीवाल, श्री मुलाराम बेनीवाल पुत्र श्री हजारी

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner

राम बेनीवाल के नाम से है। (2) ग्राम रूपनगढ तहसील रूपनगढ जिला अजमेर स्थित आद्यौगिक रूपान्तरित भूमि खसरा नं0 3372/1176 रकबा नं0 06 बिस्वा 15 बिस्वांसी में सम्पूर्ण हक हिस्सा, जो श्रीमती छोटी देवी पत्नि श्री रूपा राम बेनीवाल और श्रीमती केसर देवी पत्नि श्री हजारी लाल बेनीवाल के नाम से है, जिसकी चतुर्थ सीमाएं निम्नानुसार है – पूर्व –खसरा नं0 1178 की भूमि, पश्चिम –40 फीट चौडी रोड, उत्तर –विकता की शेष भूमि, दक्षिण– भूखंड का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 23.12.2019 को सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

Scanned by CamScanner